षोडश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-26.02.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स० श्री रविन्द्र सिंह, स०वि०स० श्री विजय कुमार 'विजय', स०वि०स०	राज्य में कोसी तटबंध के बीच रहने वाले किसानों को हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है । प्रत्येक वर्ष नदी के साथ लाये गये सिल्ट, बालू एवं गाद से खेत रेत में बदल गया है । धाराओं के बदलने, बाढ़ एवं कटाव से जमीन कभी नदी में समाहित होती है तो कभी गड्ढा बन जाती है । ये मजबूर किसान इसी परिस्थिति में थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं । फिर भी उन्हें जमीनों का लगान व सेस उसी दर से देना पड़ता है जो तटबंध के बाहर की जमीन के लिए निर्धारित है । ऊपर से 145 प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं कृषि विकास के लिए सेस भी देना पड़ता है । खेतों के पुनर्वासित नहीं होने की स्थिति में विना सुविधाओं के सेस लेना कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विपरीत और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है । अत: कोसी तटबंध के बीच के लोगों के लिए लगान मुक्त कर जमीन का मालिकाना हक देने, जमीन की हुई बर्बादी का क्षतिपूर्त्ति देने संबंधी कानून बनाने एवं वहां की समस्याओं के निराकरण की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	राजस्व एवं भूमि सुधार आपदा प्रबंधन

2.	श्री शत्रुधन तिवारी, स०वि०स० श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कु सिंह, स०वि०स० श्री अभय कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री अशोक कुमार चौधरी, स०वि०स०	गंगा नदी पर दीघा पहलेजा के बीच निर्मित जे०पी० सेतु पर 12 चक्का, 16 चक्का वाले भारी वाहन क्षमता से अधिक भार लाद कर गुजर रहे हैं । दिनांक- 24.02.2020 को भारी वाहनों और बालू लदे ट्रकों की लम्बी कतार दिन में पुल पर लगने के कारण सारण जिला के नयागाँव से दीघा तक घंटों जाम लगा रहा जिसमें कई एम्बुलेंस भी फंसे हुए थे । इस पुल की वर्तमान बनावट एवं क्षमता भारी वाहनों का भार सहने की नहीं है। भारी वाहनों के परिचालन से पुल के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। अत: दीघा के जे०पी० सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन को रोकने और जाम की समस्या के कारण यात्रियों को हो रही कठिनाइयों की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	पथ निर्माण परिवहन

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-02/20- 497 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25, फरवरी, 2020 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग / पथ निर्माण विभाग तथा परिवहन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/2/20
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-02/20- 497 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25, फरवरी, 2020 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

25/2/20
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
25/2/20